Date : 23-01-2017

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

की

निर्देश–पुस्तिका

Hand-Book

कां

अध्याय–13,13-A,13-B

(वर्ष 2016 तक संशोधित)

बोर्ड से

सम्बद्धता सम्बन्धी विनियम

(साधिकार मुद्रित)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अधिकार द्वारा प्रकाशित

(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06.06.2013 एवं 22.10.2016 में प्राप्त स्वीकृति पश्चात–संशोधित)

सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर–305001
PBX Tel. : 0145–2632870 से 2632873 तक E-mail : secy-boser-rj@nic.in
Web site-www.rajeduboard.rajasthan.govt.in Fax : 0145.2632869 ग्राम–राजसैकबोर्ड

बोर्ड से सम्बद्धता सम्बंधी विनियम

1. ये विनियम बोर्ड से **सम्बद्धता** संबंधी विनियम कहलायेगें (इनमे पूर्व मे निर्धारित नियम व अब तक संशोधित सभी विनियम सम्मिलित माने जावेगे)
2. जब तक अन्यथा उल्लेखित नही हो इन विनियमो मे परिभाषऐ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 मे दी गयी परिभाषाऐं ही अभिप्रेत रहेगी ।
3. इन विनियमो मे वे सभी विनियम /शर्ते जो बोर्ड निर्देश पुस्तिका मे या इनमे हुऐ संशोधन अथवा होने वाले संशोधनों सहित लागू माने जावेगे।

अध्याय 13

यह नियम दिनांक 01.09.2011 से प्रभावी माने जायेगे :–

1. **सम्बद्धता समिति का गठन** :–

(अ) **सम्बद्धता** संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार **सम्बद्धता** समिति का गठन किया जाएगा :–

(क) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समिति के अध्यक्ष होंगे।

(ख) आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अलावा बोर्ड द्वारा निर्वाचित 6 सदस्य होंगे, जिनमेः–

i. उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक संस्था प्रधान।

ii. माध्यमिक विद्यालय का एक संस्था प्रधान।

iii. स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक आचार्य अथवा विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष।

iv. प्राविधिक शिक्षा निदेशक अथवा उनका प्रतिनिधि।

v. संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक।

vi. गैर सरकारी **सम्बद्धता** प्राप्त विद्यालय का संस्था प्रधान।

बोर्ड सचिव द्वारा **सम्बद्धता** समिति के सचिव का कार्य किया जाएगा।

(ब) **सम्बद्धता** समिति **सम्बद्धता** सम्बंधी प्रकरणों को निस्तारित तथा प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कर सकेगी।

2. **सम्बद्धता समिति के कर्तव्य** :–

i. शिक्षा संस्थाओं की **सम्बद्धता** के लिये निरीक्षकों के पेनल को अनुमोदित करना।

ii. निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा करना।

iii. **सम्बद्धता** संबंधी अन्य जानकारी यदि आवश्यक हो, प्राप्त करना।

iv. संस्था की **सम्बद्धता** संबंधी निर्णय प्रदान करना।

v. ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना, जो बोर्ड द्वारा उसे प्रदत्त किये गये हो।

vi. **सम्बद्धता** संबंधी विनियमों का समय–समय पर पुनरावलोकन करना।

vii. स्थायी **सम्बद्धता** प्राप्त संस्थाओं का आवश्यकतानुसार निरीक्षण कराना।

viii. प्राप्त शिकायतों की जांच कराना।

3. अस्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र व शुल्क जमा कराया जाना :–

i. राज्य सरकार द्वारा किसी भी विद्यालय की क्रमोन्नति आदेश प्रसारित करने के पश्चात् उक्त विद्यालय को आदेश प्रसारित होने की दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर बोर्ड से अस्थाई **सम्बद्धता** हेतु आवेदन करना होगा। अन्यथा 1000/– प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।

ii. विद्यालय द्वारा बोर्ड से अस्थाई **सम्बद्धता** प्राप्त करने हेतु निर्धारित **प्रपत्र 'क'** (माध्यमिक/प्रवेशिका एवं उच्च माध्यमिक/ वरिष्ठ उपाध्याय) की पूर्ण रूप से पूर्ति कर नोटरी से तस्दीक शुदा शपथ–पत्र (परिशिष्ट–1), जो गैर सरकारी विद्यालयों के संदर्भ में प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा दिया जाएगा, क्रमोन्नति आदेश, शिक्षा विभाग के द्वारा कराए गए निरीक्षण की प्रति, स्थानीय निकाय सक्षम एजेन्सी यथा विकास प्राधिकरण/ नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का शिक्षण संस्था के रूप में उपयोग हेतु भूमि सम्परिवर्तन होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र एवं प्रमाणित ब्ल्यूप्रिंट, विद्यालय की वीडियोग्राफी प्रमाणित तथा जिला शिक्षा अधिकारी से आवेदन अभिशंषा सहित अग्रेषित करवाकर बोर्ड द्वारा निर्धारित बैंक में **सम्बद्धता** शुल्क ऑन लाईन जमा करवा कर बैंक की सील शुदा चालान की प्रति के साथ/**अथवा बोर्ड कार्यालय की मूल रसीद के साथ आवश्यक** रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। **सम्बद्धता** शुल्क का विवरण अग्रानुसार है :–

कक्षा	अराजकीय शालाओं हेतु	राजकीय शालाओं हेतु
10 स्तर हेतु	15,000/–	14,000/–
12 स्तर हेंतु	15,000/–	14,000/–

परन्तु राजकीय विद्यालयों का शुल्क निदेशालय से प्राप्त होता है। अतः उन्हें इन प्रपत्रों के साथ शुल्क जमा कराना अथवा जमा राशि का चालान प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

iii. **राजकीय स्कूलों में स्ववित्त पोषित व्यवस्था के तहत् नये विषय खोलने पर देय शुल्क :– राजकीय स्कूलों में स्ववित्त पोषित व्यवस्था के तहत् नये विषय खोलने पर समस्त प्रकार के शुल्क राजकीय स्कूलों के समकक्ष स्थिति मानते हुवे जमा कराने होंगें।**

iv. संस्था/विद्यालय द्वारा इस विनियम के उप विनियम (i) में वर्णित अवधि के पश्चात् आवेदन किया जाता है तो उस सत्र में परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक विलम्ब शुल्क 1000/– प्रतिमाह की दर से देय होगा। मात्र विलम्ब शुल्क के आधार पर विद्यालय परीक्षा आवेदन–पत्र प्राप्त करने का **ऑन लाईन आवेदन पत्र भरवाने का** अधिकारी नहीं होगा। संस्था/विद्यालय को इस विनियम के उपनियम (ii) में वर्णित प्रावधानों की भी पूर्ति करनी होगी।

v. राज्य सरकार/शिक्षा विभाग द्वारा किसी विद्यालय/संस्था को कक्षा 9 व 10 तथा 11 व 12 के लिए एक साथ क्रमोन्नत करने पर अस्थायी **सम्बद्धता** शुल्क के अतिरिक्त रूपये 20,000/– और जमा कराने होंगे।

किन्तु, जहाँ विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथियां विगत होने के पश्चात् जारी किये गये हो, तथा विद्यालय को 9 व 10 अथवा 11 व 12 में परीक्षा में अध्ययन की एक साथ अनुमति मिली है तथा विद्यालय ने वर्तमान सत्र में कक्षा 10 अथवा 12 हेतु परीक्षार्थ आवेदन पत्र नहीं भरवाये हो, उन्हे वर्तमान सत्र में कक्षा 9 व 11 मे अध्ययन की अनुमति प्रदान करते हुए इन विद्यालयों को 20,000/– रूपये शुल्क की छूट दी जा सकेगी।

4. अस्थाई सम्बद्धता का प्रमाण–पत्र एवं कमांक जारी किया जाना :–

i. **प्रपत्र 'क'** प्रस्तुत होने पर बोर्ड द्वारा संस्था/विद्यालय को संबद्धता के लिये आवेदन प्राप्ति के 30 (तीस) दिवस के भीतर पंजीकृत कर अस्थायी **सम्बद्धता** क्रमांक एवं विद्यालय कोड जारी किये जावेंगे, जिसे बोर्ड वेब साईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

ii. अस्थायी **सम्बद्धता** प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के समय विद्यालय/संस्था पर बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर कतिपय शर्तें भी अधिरोपित की जा सकेगी।

iii. उक्त प्रकार जारी की गई अस्थाई **सम्बद्धता** जारी करने की तिथि से अगले 5 (पांच) वर्ष तक के लिये मान्य होगी। **निजी विद्यालय/संस्था में राज्य सरकार/बोर्ड के नियम/विनियम/निर्देशों की किसी परिस्थितिवश पूर्ति नहीं होने पर अस्थाई सम्बद्धता की अवधि बोर्ड द्वारा बढ़ाई जा सकेगी। इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि में वार्षिक शुल्क एवं पैनल्टी राशि दुगनी दरों पर विद्यालय/संस्थाओं को बोर्ड में जमा कराने होंगे। इस प्रकार से स्थाई सम्बद्धता लेने से पूर्व निजी विद्यालयों को तत्समय प्रभावी नियम/विनियम/निर्देशों की पूर्णरूपेण पालना करनी होगी।**

5. परीक्षार्थ आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना :–

i. सभी राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थाओं/विद्यालयों को 25 जुलाई की आधार तिथि मानकर 31 जुलाई तक (31 जुलाई का अवकाश होने पर अगला कार्य दिवस) प्रपत्र E–1 व E–2 की प्रविष्टियों को ऑन लाईन भरना अनिवार्य होगा।

ii. अस्थायी **सम्बद्धता** प्रदान किए जाने के पश्चात् संस्था/विद्यालय को उनके यहां अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर बोर्ड परीक्षार्थ आवेदन पत्र ऑन लाईन भरवाये जायेंगे, जो किसी भी परिस्थिति में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या प्रथम वर्ष में 45 से अधिक नहीं हो। **लेकिन किसी विद्यालय/संस्था में कमोन्नति से पूर्व की कक्षा में S.R. रजिस्टर में जितने छात्र दर्ज थे, उनमें से उत्तीर्ण शुदा सभी छात्र कमौन्नति के बाद अगले सत्र में प्रवेश ले सकेंगें। इस परिस्थिति में विद्यार्थियों की संख्या कमोन्नति के प्रथम वर्ष में 45 से अधिक हो सकेंगी।**

6. निर्धारित समयावधि में स्थाई सम्बद्धता हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में :–

i. अस्थायी **सम्बद्धता** के लिये जारी किये गये प्रमाण–पत्र में उल्लेखित वर्ष की निर्धारित तिथि तक स्थायी **सम्बद्धता** हेतु आवेदन नही किया जाता है तथा निर्धारित तिथि तक विद्यालय/संस्था द्वारा अस्थाई **सम्बद्धता** के लिए जारी प्रमाण–पत्र में वर्णित कमियों/शर्तो की पूर्ति नहीं की जाती है तो प्रमाण–पत्र में वर्णित कमियों/शर्तो की पूर्ति कर स्थायी **सम्बद्धता** हेतु आवेदन करने की दिनांक तक राजकीय शालाओं हेतु 1000/– तथा अराजकीय शालाओं हेतु 1000/– प्रतिमाह की दर से दण्ड देय होगा।

ii. अस्थायी **सम्बद्धता** की अवधि समाप्त होने के उपरान्त परीक्षार्थ आवेदन–पत्र इस विनियम के उप विनियम (i) में वर्णित दण्ड राशि का भुगतान करने पर ही उपलब्ध कराये/स्वीकार किये जायेंगे। दण्ड राशि का भुगतान बोर्ड के निर्धारित बैंक में ऑन लाईन जमा कराया जाकर बैक की सील शुदा चालान की प्रति बोर्ड में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

iii. विद्यालय/संस्था को अस्थायी **सम्बद्धता** की उक्त अवधि समाप्ति के अगले 2 (दो) वर्ष तक इस विनियम के उप विनियम (i) में वर्णित दण्ड राशि का भुगतान किये जाने पर स्वतः ही बढ़ी हुई मानी जायेगी, जो विद्यालय/संस्था को इस हेतु दिया गया अंतिम अवसर होगा। उक्त प्रकार से बढ़ी हुई अवधि की समाप्ति के पूर्व स्थायी **सम्बद्धता** हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् अस्थायी **सम्बद्धता** अवधि स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा इस प्रकार स्वतः समाप्त हुई अवधि के पश्चात् किसी भी स्थिति में परीक्षार्थ आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

iv. स्वतः अस्थायी **सम्बद्धता** अवधि समाप्त होने के पश्चात् स्थायी **सम्बद्धता** का आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जावेगा।

7 स्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन व शुल्क जमा कराया जाना :–

विद्यालय/संस्था द्वारा अस्थाई **सम्बद्धता** प्रमाण–पत्र में वर्णित कमियों/शर्तो की पूर्ति कर अस्थाई **सम्बद्धता** के प्रमाण–पत्र में वर्णित अवधि की समाप्ति के पूर्व स्थायी **सम्बद्धता** हेतु आवेदन **प्रपत्र 'ग'** की पूर्णरूप से पूर्तिकर नोटरी से तस्दीक शुदा शपथ पत्र (परिशिष्ट–2), जो गैर सरकारी विद्यालयों में प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा दिया जायेगा, के साथ निम्नानुसार स्थाई **सम्बद्धता** शुल्क बोर्ड के निर्धारित बैक में ऑनलाईन जमा कराकर चालान की एक प्रति भी प्रस्तुत की जायेगी :–

स्थायी सम्बद्धता शुल्क का विवरण –

कक्षा	अराज. शालाओं हेतु	राजकीय शालाओं हेतु
10 स्तर हेतु	15,000/–	14,000/–
12 स्तर हेतु	15,000/–	14,000/–

किन्तु राजकीय विद्यालयों का शुल्क सीधा निदेशालय से प्राप्त होने के कारण राजकीय विद्यालय को शुल्क जमा कराने अथवा जमा राशि का चालान प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

8. निरीक्षण कराया जाना,सम्बद्धता समिति के समक्ष रखा जाना एवं प्रमाण–पत्र जारी किया जाना :–

i. संस्था/विद्यालय से आवेदन पत्र **प्रपत्र 'ग'** मय शुल्क जमा होने के उपरांत विद्यालय का निरीक्षण बोर्ड द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय निरीक्षण दल से करवाया जावेगा, **जो वर्तमान में कार्यरत राजपत्रित (व्याख्याता स्तर) के अधिकारी होगें।**

ii. निरीक्षण दल द्वारा राज्य सरकार/शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अथवा बोर्ड द्वारा दिये जाने वाले दिशा निर्देशों के क्रम में निरीक्षण कर शाला के खर्चे से विद्यालय भवन की पूर्ण विडियोग्राफी कराकर निरीक्षण किए जाने के आदेश प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को निरीक्षण प्रतिवेदन मय विडियोग्राफी की सी0डी0 आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

iii. निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन संवीक्षा हेतु **सम्बद्धता** समिति में रखा जावेगा।

iv. **सम्बद्धता** समिति के निर्णयोपरान्त संस्था/विद्यालय को स्थायी **सम्बंद्धता**हेतु उपयुक्त पाए जाने पर स्थायी **सम्बद्धता** प्रमाण–पत्र बोर्ड के अधिकृत अधिकारी द्वारा **सम्बद्धता** समिति के निर्णय से 30 (तीस) दिवस के भीतर जारी कर बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित कराया जाएगा।

v. **सम्बद्धता** समिति के द्वारा स्थाई **सम्बद्धता** हेतु प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का मामला नहीं पाये जाने की स्थिति में अस्थायी **सम्बद्धता** अवधि विनियम संख्या 6 (छः) के उप नियम (iii) में वर्णित स्वतः बढ़ी हुई अवधि को सम्मिलित करते हुए बढ़ायी जा सकेगी, किन्तु इसके पश्चात् अस्थायी **सम्बद्धता** की **अवधि सभी शुल्क उपनियम 6(i) के अनुसार स्कूल/संस्था को जमा कराने होंगें।**

vi. इस विनियम के उप नियम (vi) में वर्णित अवधि की समाप्ति के पूर्व शाला/संस्था को कमियों की पूर्ति अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी, अन्यथा शाला/संस्था का स्थायी **सम्बद्धता** का आवेदन सचिव द्वारा अस्वीकार कर आदेश के अगले सत्र से कक्षाऐं बन्द करने का आदेश दिया जा सकेगा।

9. अतिरिक्त विषय अथवा संकाय हेतु आवेदन, सम्बद्धता शुल्क तथा विलम्ब शुल्क जमा कराया जाना :–

i. बोर्ड द्वारा अस्थायी/स्थायी **सम्बद्धता** प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के उपरान्त शाला की प्रार्थना पर उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय हेतु अतिरिक्त विषय अथवा संकाय के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश की दिनांक से दो माह के भीतर बोर्ड के निर्धारित **प्रपत्र 'ख'** में आवेदन, नोटरी से तस्दीक शुदा शपथ–पत्र (परिशिष्टि–3), जो कि गैर सरकारी विद्यालय के प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा दिया जाएगा तथा 1500 रू. प्रति विषय शुल्क बोर्ड के निर्धारित बैंक में ऑन लाईन जमा करवाकर बैंक की सील शुदा चालान की प्रति के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

किन्तु राजकीय विद्यालयों का शुल्क सीधा निदेशालय से प्राप्त होने के कारण राजकीय विद्यालय को शुल्क जमा कराने अथवा जमा राशि का चालान प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ii. अतिरिक्त विषय के आदेश से दो माह दिवस के पश्चात् आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क प्रति विषय 150/– रूपये प्रति माह के हिसाब से पृथक से देय होगा।

iii. इस विनियम के उप नियम (प) में वर्णितानुसार निर्धारित **प्रपत्र "ख"** प्राप्त होने के उपरान्त अतिरिक्त विषय अथवा संकाय हेतु अस्थाई/स्थाई **सम्बद्धता** का प्रमाण–पत्र (संशोधित) बोर्ड के अधिकृत अधिकारी के द्वारा आदेश से 30 (तीस) दिवस के भीतर जारी कर बोर्ड की वेब साईट पर प्रदर्शित कराया जायेगा।

10. वार्षिक शुल्क –

शिक्षा विभाग द्वारा क्रमोन्नति आदेश जारी किए जाने की दिनांक से प्रति वर्ष 2,000/– रूपये वार्षिक शुल्क विद्यालय द्वारा परीक्षार्थ आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से बोर्ड के निर्धारित बैंक में अथवा ऑनलाईन जमा कराया जायेगा तथा बैंक की सील शुदा चालान की प्रति बोर्ड में भिजवाई जाएगी। यह शुल्क विद्यालय के अस्तित्व में रहने तक देय होगा।

11.स्थान/भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन किए जाने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः–

i. गैर राजकीय संस्था/विद्यालय द्वारा बोर्ड की स्वीकृति के बिना स्थान/भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन का मामला पाये जाने पर संस्था के विरूद्व सरकार/शिक्षा विभाग के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को अप्रभावित रखते हुये संस्था को पुनः निरीक्षण शुल्क के रूपये 10000/– जमा कराने होंगे तथा विद्यालय का पुनः निरीक्षण कराया जावेगा। यह राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में विद्यालय को 15 (पन्द्रह) दिवस का नोटिस जारी कर सचिव द्वारा संस्था/विद्यालय की **सम्बद्धता** निरस्त/ निलम्बित की जा सकेगी।

ii. गैर राजकीय शालाओं के मामले में बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त किये बिना स्थान/भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन का मामला पाया जाने पर शाला के माध्यमिक स्तर की होने पर रूपये 20000/– तथा उच्च माध्यमिक स्तर की होने पर रूपये 20,000 पृथक–पृथक दण्ड देय होगा। दण्ड राशि नहीं देने पर 15 (पन्द्रह) दिवस का नोटिस जारी कर सचिव द्वारा शाला/संस्था की **सम्बद्धता** निरस्त/ निलम्बित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

iii. सचिव उक्त आवेदन आदि का अवलोकन कर अनुमति जारी करेगा, जिसकी सूचना बोर्ड के अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/विद्यालय को दी जाएगी।

iv. गैर राजकीय शालाओं के स्थान/भवन/नाम/वर्ग/माध्यम में परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जाने वाले आदेश की दिनांक से 30 (तीस) दिवस के भीतर बोर्ड नोटरी से तस्दीक शुदा शपथ–पत्र (परिशिष्टि–4), जो कि गैर सरकारी विद्यालय के प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा दिया जाएगा व राज्य सरकार/शिक्षा विभाग के आदेश की

प्रति के साथ निम्न शुल्क बोर्ड के निर्धारित बैंक में ऑनलाईन जमा कराया जाकर बैक की सील शुदा चालान की एक प्रति भी बोर्ड में प्रस्तुत की जाएगी :–

विद्यालय स्तर	शुल्क राशि
माध्यमिक	7,000/–
उच्च माध्यमिक	10,000/–

उक्त वर्णित शुल्क भवन/नाम/वर्ग/माध्यम हेतु पृथक–पृथक देय होगा।

12. शाला/संस्था द्वारा प्रबन्धन का अंतरण किये जाने की स्थिति में :–

i. गैर राजकीय विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग/बोर्ड की स्वीकृति के बिना अन्य प्रबन्ध समिति/संस्था को प्रबन्धन का अन्तरण नहीं किया जाएगा।

ii. गैर राजकीय शालाओं के प्रबंध अंतरण के संबंध में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जाने वाले आदेश की दिनांक से 30 (तीस) दिवस के भीतर नोटरी से तस्दीक शुदा शपथ–पत्र (परिशिष्ट–5), जो कि प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा दिया जाएगा व राज्य सरकार/शिक्षा विभाग के आदेश की प्रति के साथ निम्न शुल्क बोर्ड के निर्धारित बैंक में ऑनलाईन जमा कराया जाकर बैक की सील शुदा चालान की एक प्रति भी बोर्ड में प्रस्तुत की जाएगी :–

विद्यालय स्तर	शुल्क राशि
माध्यमिक	7,000/–
उच्च माध्यमिक	10,000/–

iii. बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त किये बिना संस्था/विद्यालय द्वारा अन्य प्रबन्ध समिति/संस्था को प्रबन्ध अन्तरित किये जाने का मामला पाया जाने पर सचिव द्वारा शाला/संस्था को पुनः निरीक्षण हेतु रूपये 10,000/– जमा कराने एवं शाला/संस्था का पुनःनिरीक्षण बोर्ड द्वारा नियुक्त निरीक्षण दल अथवा बोर्ड अधिकारियों से कराये जाने का आदेश दिया जा सकेगा। पुनः निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त बोर्ड सचिव द्वारा शाला/संस्था को 15 दिन का नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा जायेगा। स्पष्टीकरण का अवलोकन करने के उपरांत बोर्ड/शिक्षा विभाग की शर्तो का उल्लंघन अथवा बोर्ड की अनुमति के बिना प्रबन्धन अंतरण का मामला पाये जाने पर नयी संस्था पर माध्यमिक स्तर हेतु रूपये 20,000/– तथा उच्च माध्यमिक स्तर हेतु रूपये 20,000/– पृथक–पृथक दण्ड लगाया जाकर अंतरण को नियमित किया जा सकेगा।

13. संकाय/विषय का अध्यापन बन्द करने की स्थिति में :–

जिन विद्यालयों ने पूर्व वर्षो (लगभग 05 से 10 वर्षो तक) में जिला शिक्षा अधिकारी से क्रमोन्नति आदेश प्राप्त कर लिये है। किन्तु प्रपत्र–'क' मय पत्रावली सम्बद्धता शाखा में आज तक प्रस्तुत नहीं की है अथवा तत्यमय प्रपत्र–'क' मय पत्रावली सम्बद्धता शाखा में प्रस्तुत कर दी किन्तु एक–दो वर्षो बाद स्वतः ही अध्यापन बन्द कर दिया ऐसे विद्यालय अब सम्बद्धता बहाली हेतु पुनः सम्बद्धता प्राप्त करना चाहते है, के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही कर ली जाए–

1. पत्रावली जमा नहीं कराने पर क्रमोन्नति आदेश के दिनांक के 02 माह पश्चात से निम्नानसार (गठित समिति के निर्णयानुसार) मान्यता शुल्क, विलम्ब शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा दण्ड राशि रूपये 10,000/– ली जायेगी।
2. पत्रावली जमा किन्तु स्वतः ही अध्यापन बन्द कर देने पर विद्यालय से अन्तर राशि रूपये 5,000/– , वार्षिक शुल्क तथा दण्ड राशि रूपये 10,000/– प्राप्त कर पुनः बहाली हेतु विचार किया जायेगा।

14. आर्थिक दण्ड/निलम्बन/ सम्बंद्वता निरस्तीकरण :–

i. बोर्ड द्वारा अस्थाई/स्थाई **सम्बद्धता** प्रमाण–पत्र जारी करने के पश्चात् विद्यालय को राजकीय/शिक्षा विभाग/बोर्ड के नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा। गैर राजकीय विद्यालय/संस्था द्वारा नियमों/निर्देशों के उल्लंघन किये जाने, परीक्षा संबंधी फर्जी दस्तावेज के आधार प्रवेश देने अथवा अन्य किसी गंभीर अनियमितता करने की शिकायत प्राप्त होने पर सचिव द्वारा शाला/संस्था को निरीक्षण शुल्क 10,000/– जमा कराने एवं सम्बन्धित शाला का निरीक्षण बोर्ड द्वारा नियुक्त निरीक्षण दल अथवा बोर्ड के अधिकारियों से कराने का आदेश दिया जा सकेगा तथा निरीक्षण उपरान्त शाला/संस्था को 15 (पन्द्रह) दिवस का नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जायेगा। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा नोटिस प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर शाला/संस्था प्रधान/प्रबन्ध कारिणी के सचिव के अनुपस्थित रहने की स्थिति में एवं नियमों/निर्देशों का उल्लंघन एवं गम्भीर अनियमिता पाए जाने पर बोर्ड सचिव द्वारा विद्यालय/संस्था पर 20,000/– से 51,000/– आर्थिक एवं स्थायी/अस्थायी **सम्बद्धता** एक साल तक के लिए निलम्बित करने अथवा उक्त दोनो दण्डों से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा तथा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षार्थ आवेदन–पत्र/परीक्षा परिणाम भी निरस्त किए जाऐंगे।

ii. यदि कोई विद्यालय दुगुने परीक्षा शुल्क की तिथि तक भी बोर्ड के निर्धारित बैंक मे ऑन लाईन दुगुना परीक्षा शुल्क जमा करवाने में असमर्थ रहता है तो ऐसे गैर राजकीय विद्यालयों के परीक्षा आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे विद्यालयों की **सम्बद्धता** दो वर्ष के लिये निलम्बित की जाएगी।

iii. परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ प्रमाणित प्रलेख संलग्न नहीं किए जाने की स्थिति में प्रति परीक्षार्थी रू. 1000/– शास्ति शुल्क देय होगा। यदि परीक्षा परिणाम घोषित होने तक शास्ति शुल्क एवं प्रलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसे गैर राजकीय विद्यालयों की **सम्बद्धता** एक वर्ष के लिये निलम्बित की जायेगी तथा सम्बंधित परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन–पत्र/ परीक्षा परिणाम भी **रोक लिये** जाऐंगे।

iv. गैर राजकीय विद्यालयों के मामले में बिना पात्रता प्रमाण–पत्र संलग्न किये परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषण करने की स्थिति में प्रति परीक्षार्थी रू.1000/–(एक हजार रूपये) गैर राजकीय व राजकीय शालाओं पर शास्ति शुल्क देय होगा। यदि परीक्षा परिणाम घोषित होने तक शास्ति शुल्क जमा एवं पात्रता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी गैर राजकीय शाला

की **सम्बद्धता** एक वर्ष के लिये निलम्बित की जायेगी, सम्बंधित परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन–पत्र/परीक्षा परिणाम भी **रोक लिये** जाऐंगे।

v. किसी गैर राजकीय विद्यालय द्वारा अपात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने की स्थिति में 1000/– प्रति विद्यार्थी शाला पर दण्ड लगाते हुए परीक्षार्थी का आवेदन निरस्त किया जाएगा तथा पुनरावृत्ति किए जाने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी के आवेदन–पत्र/परीक्षा परिणाम निरस्त करने के साथ–साथ शाला/संस्था की **सम्बद्धता** तीन साल तक के लिए निलम्बित की जा सकेगी।

vi. विद्यालय/संस्था तभी तक **सम्बद्धता** प्राप्त रह पावेगी जब तक कि वह राज्य सरकार/शिक्षा विभाग से स्वीकृति के अधीन है। राज्य सरकार/शिक्षा विभाग के निर्णय उपरांत बोर्ड द्वारा संस्था/विद्यालय को जारी अस्थाई/स्थाई **सम्बद्धता** स्वतः निरस्त हो जाएगी। इस हेतु बोर्ड द्वारा पृथक से नोटिस जारी करने अथवा स्पष्टीकरण मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।

vii. बोर्ड द्वारा आकस्मिक निरीक्षण का अधिकार सुरक्षित रखते हुए गैर राजकीय शाला/संस्था का कभी भी निरीक्षण कराया जा सकेगा, जिसका शुल्क 10,000/– संस्था/शाला को जमा कराना आवश्यक होगा। निरीक्षण शुल्क जमा नहीं कराने पर अस्थाई/स्थाई **सम्बद्धता** निरस्त की जा सकेगी।

viii. विद्यालय/संस्था द्वारा नियमों/निर्देशों का उल्लंघन एवं गम्भीर अनियमिता की पुनरावृत्ति किये जाने की स्थिति में शाला/संस्था की स्थायी/अस्थायी **सम्बद्धता** समाप्त की जा सकेगी।

ix. नियमों/निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर राजकीय विद्यालयों के मामलों में विद्यालय के संस्था प्रधान के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लिखा जावेगा तथा सम्बंधित परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन–पत्र/परीक्षा परिणाम भी निरस्त किये जाऐंगे।

x. यदि कोई विद्यालय किसी अन्य बोर्ड से सम्बद्धता चाहने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र (N O C) चाहता है तो विद्यालय का लम्बित शुल्क प्राप्त कर तथा 10,000/– रूपये शुल्क देने के उपरान्त ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकता है।

15. विद्यालय/संस्था द्वारा निरीक्षण दल को असहयोग करने की स्थिति में :–

किसी राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय/संस्था द्वारा निरीक्षण दल को वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने अथवा असहयोग करने एवं निरीक्षण दल द्वारा संस्था के बाबत् अन्यथा विपरीत रिपोर्ट पाये जाने पर ऐसे विद्यालय/संस्था को कारण बताते हुये पुनः निरीक्षण शुल्क रूपये 10,000/– ऐसी शाला/संस्था द्वारा जमा कराने के पश्चात् निरीक्षण कराया जावेगा। पुनः निरीक्षण शुल्क जमा नहीं कराने पर ऐसे गैर राजकीय विद्यालय/सस्था का अस्थायी/स्थायी **सम्बद्धता** का प्रमाण–पत्र निरस्त /निलम्बित कर दिया जायेगा।

16.. सम्बद्धता प्रमाण–पत्र खोने अथवा नष्ट होने पर प्रकिया :–

किसी गैर राजकीय विद्यालय/संस्था का **सम्बद्धता** सम्बन्धी प्रमाण–पत्र नष्ट हो जाने अथवा खो जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र मय नोटरी से तस्दीक शुदा शपथ–पत्र (परिशिष्ट–6) प्रबन्ध

समिति के सचिव की ओर से प्रस्तुत करने पर प्रति प्रमाण–पत्र 1000/– रूपये शुल्क के जमा कराने पर अधिप्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जायेगी।

17. अपील किया जाना :–

i. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पारित आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के विरूद्ध अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के समक्ष आदेश प्राप्ति की दिनांक से 30 (तीस) दिवस के भीतर प्रथम अपील की जा सकेगी। उक्त समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत अपील पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ii. अपील के ज्ञापन में मामले के पूरे तथ्य अन्तर्विष्ट होंगे और उसके साथ आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गयी है, की अधिप्रमाणित प्रतिलिपि और अपील के समर्थन में अन्य सुसंगत दस्तावेज होंगे।

iii. अपील प्राप्त होने पर, अध्यक्ष बोर्ड सचिव से तत्परता से सुसंगत अभिलेख मँगायेंगें और ऐसे अभिलेख की परीक्षा करने और अपीलार्थी एवं सचिव को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अध्यक्ष ऐसे आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गयी है, को पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा और उक्त विनिश्चय से अपीलार्थी को तुरन्त सूचित किया जायेगा।

नोट : किसी भी विद्यालय का परीक्षा संबंधी कोई अनियमितता (फर्जीवाड़ा) संबंधी तथ्य सही साबित हो जाये तो ऐसे विद्यालय को आर्थिक दण्ड बतौर रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार) तथा एक साल के लिये सम्बद्धता निलम्बित कर दी जावे।

18. द्वितीय अपील किया जाना :–

i. अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड के समक्ष आदेश प्राप्ति की दिनांक से 30 (तीस) दिवस के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी। उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत द्वितीय अपील पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ii. अपील के ज्ञापन में मामले के पूरे तथ्य अन्तर्विष्ट होंगे और उसके साथ आदेश, जिसके विरूद्व द्वितीय अपील की गयी है, की अधिप्रमाणित प्रतिलिपि और अपील के समर्थन में अन्य सुसंगत दस्तावेज होंगे।

iii. द्वितीय अपील प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी बोर्ड सचिव से तत्परता से सुसंगत अभिलेख मँगायेगा और ऐसे अभिलेख की परीक्षा करने और अपीलार्थी एवं सचिव को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील प्राधिकारी ऐसे आदेश, जिसके विरूद्व द्वितीय अपील की गयी है, को पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। उक्त विनिश्चय से अपीलार्थी एवं सचिव को तुरन्त संसूचित किया जायेगा।

19. विविध :–

1. जिस सत्र में विद्यालय को राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होती है, तो उस विद्यालय को उसी सत्र में बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी। यदि विद्यालय ऐसा नहीं करता है तो संबंधित विद्यालय को नये सिरे से राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होगी।

2. 01.01.2011 के बाद अस्थाई / स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों को ग्यारह माह का प्रतिवर्ष रजिस्टर्ड किराया नामा प्रस्तुत करना होगा।
3. जिन विद्यालयों का वार्षिक शुल्क बकाया है उन विद्यालयों से 31.08.2011 तक पुराने नियमानुसार तथा 01.09.2011 से नये नियमानुसार शुल्क प्राप्त किया जावेगा।
4. 01.09.2011 तक राज्य सरकार द्वारा कमोन्नत विद्यालय जिन्होंने बोर्ड में अस्थाई/स्थाई सम्बद्धता के लिये आवेदन कर दिया है, उनसे पूर्व नियमानुसार ही शुल्क प्राप्त किया जावेगा।
5. 01.09.2011 बाद जो विद्यालय राज्य सरकार से जारी कमोन्नत आदेश की दिनांक से दो माह के भीतर बोर्ड में सम्बद्धता हेतु आवेदन नहीं करते है तो ऐसे विद्यालयों से दो माह पश्चात् रूपये 1000/– (रूपये एक हजार) प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क लिया जावेगा।
6. 01.09.2011 से अस्थाई/स्थाई सम्बद्धता हेतु आवेदन करने वाले विद्यालय से विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, खेल का मैदान इत्यादि की विडियोग्राफी करवाकर उसकी सी.डी. मय वीडियोग्राफर/संस्था प्रधान के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

X

परिशिष्ट–1

शपथ–पत्र

मैं ..... पिता श्री ..... जाति .....उम्र ..... निवासी ..... सशपथ निम्न बयान करता हूँ :–

1. यह कि मैं ..... विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सचिव/अध्यक्ष के पद पर कार्यरत् हूँ तथा प्रबन्ध समिति द्वारा शाला–संचालन हेतु संपूर्ण कार्यवाही करने हेतु मुझे अधिकृत किया हुआ है।
2. यह कि मान्यता हेतु आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्य सही व सत्य है।
3. यह कि शाला/संस्था, शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति करती है।
4. यह कि शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा अधिरोपित अन्य शर्तों की निर्धारित समयावधि में पालना कर ली जाएगी।
5. यह कि जिस भवन में शाला चल रही है, वह भवन बोर्ड/शिक्षा विभाग के मानकों की पूर्णरूप से पूर्ति करता है।
6. यह कि मेरी संस्था के विरुद्ध वर्तमान में कोई कार्यवाही शिक्षा विभाग/बोर्ड में विचाराधीन नहीं है तथा मेरी संस्था को शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा पूर्व में कभी दण्डित नहीं किया गया।
7. यह कि आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्य यदि असत्य पाया जावे तो शाला संस्था के विरुद्ध बोर्ड विद्यालय की मान्यता निरस्त करने एवं दण्ड आरोपित करने सहित किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस कार्यवाही से विद्यार्थियों को होने वाली हानियों के लिये तत्समय कार्यरत् अध्यक्ष/सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्त्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या– 01 से 07 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है, ईश्वर मेरी सहायता करें।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

परिशिष्ट–2

शपथ–पत्र

मैं ..... पिता श्री ..... जाति .....उम्र .... निवासी ..... सशपथ निम्न बयान करता हूँ :–

1. यह कि मैं ..... विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सचिव/अध्यक्ष के पद पर कार्यरत् हूँ तथा प्रबन्ध समिति द्वारा शाला–संचालन हेतु संपूर्ण कार्यवाही करने हेतु मुझे अधिकृत किया हुआ है।
2. यह कि मान्यता हेतु आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्य सही व सत्य है।
3. यह कि शाला/संस्था, शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी शर्तों तथा अधिरोपित अन्य शर्तों की पूर्ति कर ली गई है।
4. यह कि जिस भवन में शाला चल रही है, वह भवन बोर्ड/शिक्षा विभाग के मानकों की पूर्णरूप से पूर्ति करता है।
5. यह कि आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्य यदि असत्य पाया जावे तो शाला संस्था के विरुद्ध बोर्ड विद्यालय की मान्यता निरस्त करने एवं दण्ड आरोपित करने सहित किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस कार्यवाही से विद्यार्थियों को होने वाली हानियों के लिये तत्समय कार्यरत् अध्यक्ष/सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्त्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या– 01 से 05 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है, ईश्वर मेरी सहायता करें।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

परिशिष्ट–3

शपथ–पत्र

मैं ..... पिता श्री ..... जाति .....उम्र .... निवासी ..... सशपथ निम्न बयान करता हूँ :–

1. यह कि मैं ..... विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सचिव/अध्यक्ष के पद पर कार्यरत् हूँ तथा प्रबन्ध समिति द्वारा शाला–संचालन हेतु संपूर्ण कार्यवाही करने हेतु मुझे अधिकृत किया हुआ है।
2. यह कि मान्यता हेतु आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्य सही व सत्य है।
3. यह कि शाला/संस्था, शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी शर्तों तथा अधिरोपित अन्य शर्तोंकी पूर्ति कर ली गई है।
4. यह कि शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा अतिरिक्त विषय के प्रयोजनार्थ अधिरोपित शर्तों की निर्धारित समयावधि में पालना कर ली जाएगी।
5. यह कि जिस भवन में शाला चल रही है, वह अतिरिक्त विषय के प्रयोजनार्थ भी भवन बोर्ड/शिक्षा विभाग के मानकों की पूर्णरूप से पूर्ति करता है।
6. यह कि मेरी संस्था के विरुद्ध वर्तमान में कोई कार्यवाही शिक्षा विभाग/बोर्ड में विचाराधीन नहीं है तथा मेरी संस्था को शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा पूर्व में कभी दण्डित नहीं किया गया।
7. यह कि आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्य यदि असत्य पाया जावे तो शाला संस्था के विरुद्ध बोर्ड विद्यालय की मान्यता निरस्त करने एवं दण्ड आरोपित करने सहित किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस कार्यवाही से विद्यार्थियों को होने वाली हानियों के लिये तत्समय कार्यरत् अध्यक्ष/सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्त्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या– 01 से 07 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है, ईश्वर मेरी सहायता करें।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

परिशिष्ट–4

शपथ–पत्र

मैं ..... पिता श्री ..... जाति .....उम्र .... निवासी ..... सशपथ निम्न बयान करता हूँ :–

1. यह कि मैं ..... विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सचिव/ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत् हूँ तथा प्रबन्ध समिति द्वारा शाला–संचालन हेतु संपूर्ण कार्यवाही करने हेतु मुझे अधिकृत किया हुआ है।
2. यह कि मान्यता हेतु आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्य सही व सत्य है।
3. यह कि शाला/संस्था, शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी शर्तों तथा अधिरोपित अन्य शर्तों की पूर्ति करती है।
4. यह कि मेरी संस्था के विरुद्ध वर्तमान में कोई कार्यवाही शिक्षा विभाग/बोर्ड में विचाराधीन नहीं है तथा मेरी संस्था को विभाग द्वारा पूर्व में कभी दण्डित नहीं किया गया।
5. यह कि जिस भवन में शाला चलाई जानी प्रस्तावित है, वह भवन बोर्ड/ शिक्षा विभाग के मानकों की पूर्णरूप से पूर्ति करता है।
6. यह कि मेरी संस्था ने भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन हेतु राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ..... से आदेश प्राप्त कर लिया है। आदेश में वर्णित शर्तों की पूर्णरूप से पालना की जायेगी।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्त्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या– 01 से 06 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है, ईश्वर मेरी सहायता करें।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

परिशिष्ट–5

शपथ–पत्र

मैं ..... पिता श्री ..... जाति .....उम्र ..... निवासी ..... सशपथ निम्न बयान करता हूँ :–

1. यह कि मैं ..... विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सचिव/अध्यक्ष के पद पर कार्यरत् हूँ तथा प्रबन्ध समिति द्वारा शाला–संचालन हेतु संपूर्ण कार्यवाही करने हेतु मुझे अधिकृत किया हुआ है।
2. यह कि मान्यता हेतु आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्य सही व सत्य है।
3. यह कि शाला/संस्था, शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी शर्तों तथा अधिरोपित अन्य शर्तों की पूर्ति करती है।
4. यह कि मेरी संस्था के विरुद्ध वर्तमान में कोई कार्यवाही शिक्षा विभाग/बोर्ड में विचाराधीन नहीं है तथा मेरी संस्था को विभाग द्वारा पूर्व में कभी दण्डित नहीं किया गया।
5. यह कि मेरी संस्था ने शाला/संस्था के प्रबन्ध अन्तरण हेतु राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ..... में आदेश प्राप्त कर लिया है। आदेश में वर्णित शर्तों की पूर्णरूप से पालना की जायेगी।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्त्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या– 01 से 07 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है, ईश्वर मेरी सहायता करें।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

परिशिष्ट–6

शपथ–पत्र

मैं ..... पिता श्री ..... जाति .....उम्र .....
निवासी ..... सशपथ निम्न बयान करता हूँ :–

1. यह कि मैं ..... विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सचिव/ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत् हूँ तथा प्रबन्ध समिति द्वारा शाला–संचालन हेतु संपूर्ण कार्यवाही करने हेतु मुझे अधिकृत किया हुआ है।
2. यह कि मान्यता हेतु आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्य सही व सत्य है।
3. यह कि मान्यता समिति प्रमाण–पत्र के खो जाने के संबंध में पुलिस थाना .... में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जिसकी प्रति संलग्न है।
4. यह कि भविष्य में खोए हुए प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर मैं बोर्ड को सूचित/ उपलब्ध करा दूंगा।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्त्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या– 01 से 04 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है, ईश्वर मेरी सहायता करें।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

परिशिष्ट–7
(10 रूपये के स्टाम्प पर)

शपथ–पत्र

मैं ..... पुत्र श्री ..... जाति .....उम्र .....
निवासी ..... सशपथ निम्न बयान करता हूँ :–

1. यह कि मैं ..... विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सचिव/ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत् हूँ तथा प्रबन्ध समिति द्वारा शाला–संचालन हेतु संपूर्ण कार्यवाही करने हेतु मुझे अधिकृत किया हुआ है।
2. यह कि मान्यता हेतु आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्य सही व सत्य है।
3. यह कि शाला/संस्था, शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति करती है।
4. यह कि शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा अधिरोपित अन्य शर्तों की निर्धारित समयावधि में पालना कर ली जाएगी।
5. यह कि जिस भवन में शाला चल रही है, वह भवन बोर्ड/शिक्षा विभाग के मानकों की पूर्णरूप से पूर्ति करता है।
6. यह कि मेरी संस्था के विरुद्ध वर्तमान में कोई कार्यवाही शिक्षा विभाग/बोर्ड में विचाराधीन नहीं है तथा मेरी संस्था को शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा पूर्व में कभी दण्डित नहीं किया गया।
7. यह कि आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्य यदि असत्य पाया जावे तो शाला संस्था के विरुद्ध बोर्ड विद्यालय की मान्यता निरस्त करने एवं दण्ड आरोपित करने सहित किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस कार्यवाही से विद्यार्थियों को होने वाली हानियों के लिये तत्समय कार्यरत् अध्यक्ष/सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्त्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या– 01 से 07 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है, ईश्वर मेरी सहायता करें।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता

विडियोग्राफर व संस्था सचिव का प्रमाण–पत्र

मैं .....पुत्र.....पेशा विडियोग्राफी निवासी ..... घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा.....
(शिक्षण संस्था का पूरा नाम व पता) की विडियोग्राफी की गई है। इसमें विडियोग्राफी जैसी मौके की स्थिति है, उसके अनुसार सही प्रकार से की गई है। सी.डी. में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रमाणित

ह0 शिक्षण संस्था प्रधान/सचिव
नाम शिक्षण संस्था.....
स्थान .....
दिनांक .....

ह0 .....
नाम विडियोग्राफर.....
पता .....
(मो. नम्बर).....

अनापत्ति प्रमाण–पत्र (N.O.C.)

नगर स्थानीय निकाय यथा विकास प्राधिकरण (नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/ग्राम पंचायत) द्वारा (विद्यालय का पूरा नाम व पता)..... की भूमि व खेल मैदान की भूमि शैक्षणिक संस्थानिक प्रयोजनार्थ (Academic / Institutional Purposes)सम्परिवर्तित है भूमि के शिक्षण संस्था के रूप में उपयोग से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

स्थानीय निकाय यथा विकास प्राधिकरण
(नगर निगम/नगर परिषद्/नगर–पालिका/ग्राम पंचायत)
(हस्ताक्षर मय सील)

02-05-2012

IMPORTANT INFORMATION ABOUT SCHOOL REGARGING RAJASTHAN BOARD EXAMINATIONS Code No: ☐☐☐☐☐☐☐

[As on 15-10-20.....]

1) Name of School : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2) Full Address: ☐☐

3) School Bank Account No: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

4) Bank Name: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5) E-mail Address of School/ Institute : ....

6) School website Address: ....

7) Name of School Principal / Headmaster / Director....................................

8) Mobile No ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Ph.No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

9) School level : Sec. [01] Sr.Sec [02] Pravshika [03] Varishta Upadhayay [04]

10) Affiliations with Board : Provisional [01] Permanent [02]

11 If not then, the School is it self Nodal School Yes ☐ NO ☐

12) Code No. Of "Nodal School" ☐☐☐☐☐

13) Distance of school from Grampanchyat .......................K.M.
Distance of school from Tehsil .... K.M.
Distance of school from Distt H.Q .... K.M.

14) Distance from Board Exam Centre.................................. K.M.

15) Number of students in school Sec...................... Pravshika..................
Sr.Sec............ Varishta Upadhayay............

16) Number of Application forms forward from school in current session Regular & Private

Regular				Private				Total
Sec.	Pravshika	Sr.Sec	Varishta Upadhayay	Sec.	Pravshika	Sr.Sec	Varishta Upadhayay	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

17) Practical subjects for which infrastructures are available ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
[Write code no. of the subjects]

18) Maximum Capacity for Theoretical Exams : Sec Exam– ☐☐☐ Sr.Sec Exam –☐☐☐ Pravshika ☐☐☐ V. Upadhayay ☐☐☐

19) Name of other Schools which are with in 10 K.M radius from this School in rural areas within 2 K.M radius in urban areas.

S.No	School Name	Distance from this school in K.M	Capacity of school for conducting Theoretical exam with reference to availability of furniture.	
			Sec	Sr.Sec
1				
2				
3				
4				
5				

I declare that above mentioned informations are true to the best of my knowledge & belief.

Enclosed:- Staff Details E-2

Signature:..

Full Name:..
Principal / Headmaster/.......................
Director of Institute with Seal............

 02-05-2012

IMPORTANT INFORMATION ABOUT SCHOOL REGARGING RAJASTHAN BOARD EXAMINATIONS **Code No:** ☐☐☐☐☐☐☐

[As on 15-10-20.....]

1) Name of School :

2) Full Address:

3) School Bank Account No:

4) Bank Name:

5) E-mail Address of School/ Institute : ....

6) School website Address: ....

7) Name of School Principal / Headmaster / Director..

8) Mobile No ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Ph.No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

9) School level : Sec. [01] Sr.Sec [02] Pravshika [03] Varishta Upadhayay [04]

10) Affiliations with Board : Provisional [01] Permanent [02]

11 If not then, the School is it self Nodal School Yes ☐ NO ☐

12) Code No. Of "Nodal School" ☐☐☐☐☐

13) Distance of school from Grampanchyat ...............................K.M.
Distance of school from Tehsil .... K.M.
Distance of school from Distt H.Q .... K.M.

14) Distance from Board Exam Centre....................................... K.M.

15) Number of students in school Sec............................ Pravshika...................
Sr.Sec............ Varishta Upadhayay............

16) Number of Application forms forward from school in current session Regular & Private

Regular				**Private**				**Total**
Sec.	Pravshika	Sr.Sec	Varishta Upadhayay	Sec.	Pravshika	Sr.Sec	Varishta Upadhayay	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

17) Practical subjects for which infrastructures are available ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
[Write code no. of the subjects]

18) Maximum Capacity for Theoretical Exams : Sec Exam– ☐☐☐ Sr.Sec Exam – ☐☐☐ Pravshika ☐☐☐ V. Upadhayay ☐☐☐

19) Name of other Schools which are with in 10 K.M radius from this School in rural areas within 2 K.M radius in urban areas.

S.No	School Name	Distance from this school in K.M	Capacity of school for conducting Theoretical exam with reference to availability of furniture.	
			Sec	Sr.Sec
1				
2				
3				
4				
5				

I declare that above mentioned informations are true to the best of my knowledge & belief.

Enclosed:- Staff Details E-2

Signature:..

Full Name:..
Principal / Headmaster/.......................
Director of Institute with Seal............

E-

-: DETAILS OF ACADEMIC STAFF:-

[As on 15.10.20.....]

Code No. Of School

District code:

1 Name of School:

2 Address of School:

S.No.	Name of Academic Staff Member including Principal/ H.M	Post Held	Subject	Post to be held for Board Exam purpose.	Mob. No.	Account Details	
						Account No.	Bank I.F.S.C No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

DATE:- .....

Signature :.....

Full Name :.....

Principal / Headmaster/.....

Director With Seal.....

दिनांक 01.09.2012 के बाद से लागू चैक लिस्ट– B

निजी (गैर सरकारी) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नव क्रमोन्नत विद्यालयों/संस्थाओं के लिये आवेदन पत्रावली के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची की चैक लिस्ट– B

संस्था का नाम व पता .....

1. कक्षा 08 के क्रमोन्नति आदेश, मान्यता प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
2. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय से प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक जो भी हों क्रमोन्नति कार्यालय–आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न (केवल बोर्ड में आवेदन करने हेतु) – है/नहीं
3. पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
4. प्रबन्ध समिति के संविधान की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
5. प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची (मय विभागीय प्रतिनिधि का नाम) की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
6. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
7. भवन के नक्शे के ब्लयू प्रिन्ट की सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता से प्रमाणित की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
8. यदि भवन व स्कूल खेल मैदान की भूमि निजी नहीं है तो अस्थायी/स्थायी मान्यता हेतु प्रत्येक सत्र में ग्यारह माह के रजिस्टर्ड किरायेनामे की सत्यापित प्रति – है/नहीं
9. कुल निर्मित कमरों की संख्या, इनका माप **(गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ट 2 के अनुसार)**एवं उपयोग का विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न
   (गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ट 2 के अनुसार खेल मैदान की भूमि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ एवं शहरी क्षेत्र में एक एकड़ भूमि होनी आवश्यक है।)"राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.03.1994 द्वारा दी गई शिथिलताऐं दिनांक 31.08.2012 तक लागू रहेगी।" – है/नहीं
10. **दिनांक 31.08.2012 के बाद आवेदनों के लिए स्कूल** भवन की भूमि एवं खैल मैदान की भूमि का (अकृषि प्रयोजनार्थ/शैक्षिक प्रयोजनार्थ) रूपान्तरित करवाने बाबत् ग्रामीण क्षेत्रों मे सक्षम राजस्व अधिकारी/तहसीलदार/एस.डी.एम./जिला कलक्टर/ राजस्व विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों मे नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी से संस्थानिक प्रयोजनार्थ (Institutional Purposes) रूपान्तरण Conversion आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न/यदि भूमि पहले से ही आबादी क्षेत्र में स्थित हो तो स्कूल की भूमि/खेल मैदान की भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग में परिवर्तन करने के सक्षम अधिकारी के आदेश की सत्यापित प्रति सत्यापित प्रति – है/नहीं
11. विद्यालय में छात्र/छात्राओं के पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था है के सम्बन्ध में घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
12. आवेदन पत्र के बिन्दु सं. 22(2)के अनुसार विद्यालय/संस्था के आसपास के वातावरण का प्रदुषण रहित होने का संस्था के अध्यक्ष के घोषणा की प्रति संलग्न – है/नहीं
13. ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल/संस्था होने पर स्वच्छ पेयजल व एहतियात के तौर पर अग्नि शमन की पर्याप्त व्यवस्था होने का संस्था प्रधान/सचिव के घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न

    अथवा

    (शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल व अग्निशमन उपकरण होने के संबंध में सक्षम नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम/विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी व अग्निशमन अधिकारी के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न यदि किसी स्थानीय निकाय में अग्नि शमन अधिकारी पदस्थापित नहीं हो तो संस्था सचिव का स्वयं का घोषणा पत्र ही मान्य होगा। – है/नहीं
14. आवेदन पत्र के बिन्दु सं. 23(1) के अनुसार संस्था का साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रमाण की सत्यापित प्रति तथा इस सम्बन्ध में सचिव का शपथ पत्र संलग्न – है/नहीं
15. भवन का नवीनतम सुरक्षा प्रमाण–पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहा0 अभियन्ता से प्रमाणित की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
16. प्रयोगशाला प्रत्येक विषयवार पृथक–पृथक होने की व्यवस्था के प्रमाण की सत्यापित प्रति – है/नहीं
17. कक्षा–1 से 5 अलग भवन/प्रबन्ध के तहत् संचालन के प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
18. कक्षा–6 से 10 माध्यमिक स्तर पर 6 से 12 उच्च माध्यमिक स्तर का कक्षा/सेक्शन वार छात्र संख्या के विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
19. कक्षा–9 से 10 माध्यमिक स्तर व 11 से 12 उच्च माध्यमिक स्तर की कुल छात्र संख्या के बराबर सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है सम्बन्धित स्थायी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं

20. छात्र/छात्राओं के लिये स्वास्थय प्रशिक्षण की सुविधाऐं उपलब्ध होने के घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
21. बालिका फाउन्डेशन की रसीद की फोटोप्रति (राजकीय नियमानुसार जमा है) की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
22. शिक्षक पूर्णरूपेण योग्यताधारी रखे जाने के संबंध में घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
23. आवर्तक/अनावर्तक खर्चे का विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
24. आरक्षित राशि जमा कराने के साक्ष्य की प्रति संलग्न – है/नहीं
25. संस्था के आय के स्त्रोत एवं प्राप्त आय का विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
26. लिपिक/परिचारक/प्रयोगशाला सहायक/पुस्तकालयाध्यक्ष नियमानुसार नियुक्त की सत्यापित प्रति – है/नहीं
27. राज्य सरकार/बोर्ड को देय शुल्क/पैनल्टी आदि लम्बे समय से बकाया राशि को राजस्व भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत् वसूल करने के लिये चल/अचल सम्पतियों के विवरण पत्र की शाला प्रधान/सचिव के हस्ताक्षर युक्त घोषणा पत्र की मूल प्रति संलग्न – है/नहीं
28. विद्यालय में कम्प्यूटर एवं ब्रॉड बैण्ड की सुविधा युक्त होने के संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न(यदि उस क्षेत्र में ब्राड बैण्ड सेवा प्रदाता नहीं है तो इस आशय का सचिव का घोषणा पत्र) – है/नहीं
29. शाला भवन, खैल मैदान की विडियोग्राफी की सी.डी.एवं आवेदन पत्र, वांछित शपथ पत्र एवं उक्तानुसार समस्त दस्तावेंजों की सॉफ्ट कॉपी की सी.डी. (मार्कर पेन से संक्षिप्त विवरण सहित) संलग्न – है/नहीं
30. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता,सहायता,अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 एवं इसके संलग्न परिशिष्ट–2 के साथ बोर्ड की मान्यता सम्बन्धी अध्याय–13, 13ए, 13बी के 01.09.11 से प्रभावी विनियमों की पालना में समस्त भौतिक एवं वित्तीय शर्तो की पूर्ति कर ली गई है। – है/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण एवं आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य सही हैं और यदि विभाग द्वारा जांच के दौरान कोई गलत तथ्य पाया जाता है तो मान्यता शुल्क एवं आरक्षित कोष की राशि को जब्त कर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जावें।

हस्ताक्षर संस्था सचिव

पूरा नाम .....
पूरा पता.....
.....
मो0 न0 .....

विद्यालय का स्थायी/अस्थायी मान्यता शुल्क रू. 20,000/– एवं बकाया ..... माह का विलम्ब शुल्क ..... वार्षिक शुल्क ..... कुल राशि..... बैंक में जमा कराकर डी.डी. प्रस्तुत करें।

चैक लिस्ट के अनुसार दस्तावेजों की सक्षम जांचकर्त्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर जॉचकर्ता अधिकारी)
पूरा नाम .....
पदनाम.....
मो0 न0 .....

जांच करने के बाद सभी दस्तावेजात् एवं सी.डी संलग्न पाये गये अतः आवेदक को आवेदन शुल्क /मान्यता शुल्क बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट से जमा कराने/की स्वीकृति दी जाती है।

हस्ताक्षर जांचकर्त्ता सक्षम अधिकारी .....

नोट :– घोषणा पत्र/शपथ पत्र सभी संबंधित तथ्यों का एक–एक ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

<u>विशेष नोट</u> :– अस्थायी/स्थायी मान्यता की पत्रावली में निर्धारित चैक लिस्ट–B के अनुसार बिन्दुवार प्रलेख नम्बर डालकर समेकित करें तथा समस्त बिन्दुओं की पूर्ति होने के पश्चात् मान्यता हेतु आवेदन करें। अन्यथा पत्रावली स्वीकार नहीं की जावेगी।

परिशिष्ट –2

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भौतिक एवं वित्तीय मानदण्ड एवं शर्तें

क.स.	मद	स्तर	मानदण्ड एवं शर्तें
1	2	3	4
1.	पूर्वानुसार		
2.	भवन	माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका के अनुसार सूक्ष्म विवरण निम्न प्रकार है :– (1) विद्यालयकी छठी व उसके ऊपर की प्रत्येक कक्षा/वर्ग के लिए 6X8 मीटर का कक्ष (45 छात्रों तक) (2) सामान्य विज्ञान, गृह विज्ञान एवं विज्ञान वर्ग के लिए 6X8 मीटर के प्रध्यापक कक्ष के साथ भंडार गृह एवं प्रयोगशाला की अतिरिक्त व्यवस्था 9X8 मीटर। (3) कला उद्योग एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के अधीन सिखाये जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए भण्डार गृह एवं दीवारों में आलमारियों सहित 100 वर्गफुट ढका हुआ स्थान। (4) विविध (क) प्रधानाध्यापक कक्ष 6X5 मीटर (ख) कार्यालय कक्ष 6X5 मीटर (ग) अध्यापक कक्ष 6X8 मीटर (घ) पुस्त0वाचनालय 12X8 मीटर (ड़) खेलकूद कक्ष 124 वर्ग मीटर (च) एन0सी0सी0 48 वर्ग मीटर (छ) बालचर संस्था 48 वर्ग मीटर (ज) बालिकाओं के लिए (सहशिक्षा की स्थिति में) अलग कमरा (कॉमन रूम) (झ) भण्डार गृह 64 वर्ग मीटर (ञ) चौकीदार कक्ष 18 वर्ग मीटर (ट) मूत्रालय प्रति 30 विद्यार्थियो के लिए एक (ठ) शौचालय प्रति 100 विद्यार्थियों के लिए एक, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय–मूत्रालय (ड) उपयुक्त प्याऊ 16 वर्ग मीटर (ढ) सभा भवन 16X18 वर्ग मीटर
		सीनियर माध्यमिक विद्यालय	(क) प्रत्येक वर्ग के लिए 6X8 मीटर अतिरिक्त कक्ष (45 छात्रों तक) (ख) प्रधानाध्यापक कक्ष (ग) कार्यालय कक्ष (घ) अध्यापक कक्ष (ड़) भौतिक/रसायन/जीव विज्ञान विषयों के लिए प्रत्येक की 9X8 मीटर की प्रयोगशाला एवं भण्डार गृह की अतिरिक्त व्यवस्था (च) कृषि वर्ग हेतु – (1) कक्षा, भवन प्रयोगशाला सहित 12X8

			(2) पशु गृह (3) औजार एवं बीज भण्डार एवं चारागृह 5X3 (4) कृषि भूमि सिंचाई सुविधायुक्त
3.	भूमि	माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालय	लगभग 5 एकड़ भूमि एवं शहरी क्षेत्र में एक एकड़ भूमि।
4.	वित्तीय	माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालय	आरक्षित कोष तीन–तीन लाख रूपये की राशि सावधि जमा खाते (एफ0डी0) में होना चाहिए, जिसे निकाला नहीं जायेगा। **आय के स्त्रोत** (अ) संस्था की नियमित आय का आंकलन एवं ऐसी आय के स्थायी स्त्रोत होने का स्पष्ट विवरण। (ब) स्त्रोतों के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चतता का प्रमाण। 1. संस्था के संसाधन के स्त्रोत ऐसे होने चाहिए जिससे नियमित आय हो एवं उस आय से विद्यालय का खर्चा पूरा हो सके। (क) संस्था की नियमित आय का आंकलन एवं अन्य आय के स्थायी स्त्रोतों का स्पष्ट विवरण। (ख) स्त्रोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चतता का प्रमाण। शेष वित्तीय मानदण्ड एवं शर्ते पूर्वानुसार रहेगी।
5.	स्टाफ	माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका (अधिनियम व सामान्य विनियम) के अनुसार : नवीं कक्षा को आरम्भ करने से पूर्व उन विषयों के शिक्षण के लिए जिनमें विद्यालय को मान्यता दी जाये, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित वेतन श्रृंखलाओं में करनी होगी। ये निम्नानुसार होंगे–

(क) प्रधानाध्यापक एक
(ख) सहायक प्रधानाध्यापक एक
(यदि छठी से दसवीं कक्षाओं में छात्र संख्या 700 से अधिक हो अथवा विद्यालय दो पारियों में चलता हो।)
(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष एक
(घ) लिपिक– यदि छात्र संख्या 500 तक हो वरिष्ठ लिपिक एक और कनष्ठि लिपिक एक और 500 से अधिक छात्र संख्या पर वरिष्ठ लिपिक 1 एवं कनिष्ठ लिपिक 2
(ड़) सैकण्डरी कक्षाओं में कोई अध्यापक दो से अधिक विषय नहीं पढ़ायेगा।

			ग्यारहवीं कक्षा को प्रारम्भ करने से पूर्व उन विषयों के शिक्षण के लिए जिनमें विद्यालय के मान्यता दी जाये, बोर्ड के द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यनूतम योग्यता वाले अध्यापक एवं कर्मचारियों की राज्य सरकार द्वारा अनुशंषित वेतनमान में नियुक्ति करनी होगी। ये निम्न प्रकार होंगे–
		सीनियर माध्यमिक विद्यालय	ग्यारहवीं कक्षा को प्रारम्भ करने से पूर्व उन विषयों के शिक्षण के लिए जिनमें विद्यालय के मान्यता दी जाये, बोर्ड के द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यनूतम योग्यता वाले अध्यापक एवं कर्मचारियों की राज्य सरकार द्वारा अनुशंषित वेतनमान में नियुक्ति करनी होगी। ये निम्न प्रकार होंगे– (क) प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एक (ख) सहायक प्रधानाध्यापक एक (यदि छठी से 11वीं कक्षा तक की छात्र संख्या 700 से अधिक हो अथवा विद्यालय दो पारियों में चलता हो) (ग) पुस्तकालयाध्यक्ष एक (घ) लिपिक– यदि छात्र संख्या 900 तक हो तो एक वरिष्ठ लिपिक तथा तीन कनिष्ठ लिपिक। (ड़) अध्यापक वर्ग– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता आवश्यक होगी। (च) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान की प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए एक प्रयोगशाला सहायक तथा एक प्रयोगशाला सेवक और गृह विज्ञान विषय के लिए एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होना चाहिए।
6.	फर्नीचर अध्ययन/ अध्यापन सामग्री	(ग) माध्यमिक विद्यालय	आवर्ती फर्नीचर/उपकरण के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत — अनावर्ती प्रथम वर्ष 20,000/– न्यूनतम
		(घ) सीनियर माध्यमिक विद्यालय	फर्नीचर/उपकरण के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत — प्रथम वर्ष 20,000/– न्यूनतम शेष वित्तीय मानदण्ड एवं शर्ते पूर्वानुसार रहेगी।
7	पूर्वानुसार		

8	पूर्वानुसार		
9.	पाठ्यक्रम	(ग) माध्यमिक और सी0 माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम
10.	कम्प्यूटर लैब	माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय	Complete computer lab with internet facility The instructor to student ratio per lab would be 1:20 i.e. on every 20 student's one instructor would take the practical. The student to computer ratio would be 2:1 i.e. 2 students per computer would take the practical. The instructor would take class wise & batch wise practical classes as per the time table set by the Head of Institution/ School and syllabus prescribed by BSER, Ajmer.
11.	अन्य	माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय	All Secondary/Senior Secondary School must have internet connection facility if any broad band facility (service) provider is functional in that locality. In case, broad band facility (service) provider is not functional in that area then only simple declaration of Secretary of that school or institution will be sufficient.

शेष वित्तीय मानदण्ड एवं शर्तें पूर्वानुसार रहेगी।

अध्याय–13–बी

संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों की योग्यताओं का विवरण

निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार चलने वाली उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय के संस्कृत विद्यालयों के संस्था प्रधानों और शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताएं नीचे लिखे अनुसार रखी जायें :–

1. **उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य**

स्नातकोत्तर उपाधि एवं शिक्षा में उपाधि, जिन्हें 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव और उच्च माध्यमिक/शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/चिल्ड्रन विद्यालय के प्रधानाचार्य/वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद का कम से कम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।

अथवा

स्नातकोत्तर उपाधि एवं शिक्षा में उपाधि जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव। जिनमें न्युनतम 3 वर्ष का माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन अनुभव होना अनिवार्य होगा।

2. **उच्च माध्यमिक विद्यालयों के उप–प्रधानाचार्य**

शिक्षा में उपधि सहित स्नातकोत्तर उपाधि तथा उच्च माध्यमिक/माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव।

अथवा

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रशासनिक प्रभारी पद पर कार्य करने का 4 वर्ष का अनुभव तथा उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/समकक्ष कक्षाओं के अध्यापन का 3 वर्ष का अनुभव।

ध्यातव्य :–

(क) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के अध्यापन का अनुभव उच्च माध्यमिक/माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन के समकक्ष माना जा सकेगा।

(ख) सामाजिक शिक्षा अनुदेशक (Social Education Organiser) के रूप में कार्य करने के अनुभव को उच्च प्राथमिक विद्यालयों प्रशासनिक प्रभारी के समकक्ष माना जा सकेगा।

(ख) राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान में अनुसंधान सहायक अथवा समन्वयक के पद का अनुभव माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन के अनुभव के समकक्ष माना जा सकेगा।

3. **माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक**

शिक्षा में उपाधि सहित अथवा समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण तथा उच्च माध्यमिक/माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव।

अथवा

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रशासनिक प्रभारी पदपर कार्य करने का 4 वर्ष का अनुभव तथा उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्यापन का 3 वर्ष का अनुभव।

4. **प्रवक्ता विद्यालयी शिक्षा**

(1) उच्च माध्यमिक कक्षाओं के समस्त विषय क्र.सं. 2 से 11 अतिरिक्त शिक्षा की उपाधि सहित संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

अथवा

शिक्षा में उपाधि संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं जिन्हें माध्यमिक/विद्यालयों अथवा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव।

(2) प्रवक्ता मनोविज्ञान विषय

मनाविज्ञान विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातोकोत्तर उपाधि, शिक्षा में स्नातक उपाधि सहित।

(3) प्रवक्ता दर्शनशास्त्र विषय

दर्शनशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्त्रातकोत्तर उपाधि तथा शिक्षा में स्नातक की उपाधि। (शिक्षा में उपाधि की अनिवार्यता उस समय तक नहीं रखी जावे जब तक बी.एड. पाठ्यक्रम में वह विषय सम्मिलित नहीं किया जावे।)

(4) प्रवक्ता समाजशास्त्र विषय

समाजशास्त्र विषय में द्वितीय श्रेणी में स्त्रातकोत्तर उपाधि।

(शिक्षा में उपाधि की अनिवार्यता उस समय तक नहीं रखी जावे जब तक बी.एड पाठ्यक्रम में वह विषय सम्मिलित नहीं किया जावे।)

(5) प्रवक्ता जीव विज्ञान विषय

दो प्रवक्ता (क) व (ख) अनुसार एक – एक

(क) जीव विज्ञान के अन्तर्गत वनस्पति शास्त्र के अध्यापन हेतु द्वितीय श्रेणी एम.एस. सी. (वनस्पति शास्त्र) शिक्षा में उपाधि सहित।

तथा

(ख) प्राणी शास्त्र के अध्यापन हेतु द्वितीय श्रेणी एम.एस.सी. (प्राणी शास्त्र) शिक्षा में उपाधि सहित।

नोट :– (विभागीय पदोन्नति हेतु) – शिक्षा में उपाधि सहित संबंधित विषय (प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र) स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त को जिन्हें माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालया में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव ।

(6) प्रवक्ता कृषि विज्ञान वर्ग

(क) कृषि विज्ञान (शस्य विज्ञान/पशुपालन एवं विज्ञान/उद्यान विज्ञान) कृषि विज्ञान/शस्य विज्ञान/पशुपालन/उद्यान विज्ञान/मृदा विज्ञान/कीट विज्ञान/पौध व्याधि विज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एवं शिक्षा में उपाधि।

(ख) कृषि वर्ग विज्ञान विषय (रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) रसायन विज्ञान– रसायन विज्ञान/मृदा विज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एवं शिक्षा में उपाधि।

जीव विज्ञान – वनस्पति शास्त्र/प्राणी शास्त्र/कीट विज्ञान/पोधव्याधि विज्ञान/पौध कार्य की विज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं शिक्षा में उपाधि।

(7.) प्रवक्ता गृह विज्ञान –

गृह विज्ञान विषय लेकर श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षोत्तीर्ण किन्तु इस योग्यता में नहीं मिलने पर बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) अथवा शास्त्री (गृह विज्ञान) मान्य विश्वविद्यालय से शिक्षा में उपाधि शिक्षा शास्त्री तथा प्रवेशिका/सैकण्डरी अथवा उपध्याय/हायर सै. कक्षाओं को पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव।

(8.) प्रवक्ता हिन्दी शीघ्रलिपि एवं टंकण लिपि

(1) द्वितीय श्रेणी में एम.कॉम. (व्यावसायिक प्रशासन) एवं बी.कॉम. में अंग्रेजी/हिन्दी शीघ्रलिपि ।

अथवा

(2) द्वितीय श्रेणी में एम.कॉम. (व्या. प्र.) एवं हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलिपि में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा।

(9.) चित्रकला प्रवक्ता –

(I) चित्रकला विषय लेकर द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि।

अथवा

(II) किसी मान्य विश्वविद्यालय/बोर्ड की प्रवेशिका/सै.कक्षाओं को अथवा इससे ऊंची कक्षाओं को पढ़ाने का 10 वर्ष का अनुभव और निम्न में से कोई एक डिप्लोमा –

(i) गवर्नमेंट कॉलेज, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास, लाहोर तथा शांति निकेतन का फाईन आर्ट्स में डिप्लोमा।

(ii) महाराजा स्कूल आफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्टस जयपुर का फाईन आर्ट्स में डिप्लोमा।

(iii) सर जे.जे. स्कूल आफ आर्ट्स बम्बई का फाईन आर्ट्स, डिप्लोमा।

(iv) भारत सरकार के दिल्ली पोलोटेक्निक, दिल्लीक का फाईन आर्ट्स में डिप्लोमा।

(v) जामिया मिलिया, दिल्ली का आर्ट्स में सीनियर डिप्लोमा।

(vi) एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा, का फाईन आर्ट्स में डिप्लोमा।

(vii) सर जे.जे. स्कूल आफ आर्ट्स, बम्बई का ड्राइंग टीचर्स डिप्लोमा।

10. Computer Instructor

Engineering or higher qualification in the field of Information Technology from a UGC recognized university.

or

Graduate from a UGC recognized university with formal Post Graduate Diploma in Computer Application

or

Graduate from a UGC recognized university having One year Diploma in Computer Application from ISO certified institution/Central Govt. & State Govt. recognized institution.

or

Graduate from a recognized university with minimum "O" Level Certificate from DOEACDC

With

at least 1 year experience in the field of Information Technology for Training basic

(11.) पुस्तकालयाध्यक्ष –

(i) स्नातक तथा लाईब्रेरी साईन्स में डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा।

अथवा

(ii) स्नातक तथा लाईब्रेरी विज्ञान में प्रमाण–पत्र तथा 5 वर्ष का पुस्तकालयी अनुभव।

5. वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी अध्यापक)

कक्षा 9 व 10 के अध्यापन हेतु विषयवार योग्यता इस प्रकार है :–

(1) अंग्रेजी –

(i) ऐच्छिक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य विषय लेकर स्नातक तथा शिक्षा में उपाधि।

(ii) अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि

अथवा

(iii) अंग्रेजी वैकल्पिक विषय लेकर शास्त्री उपाधि तथा शिक्षा में उपाधि।

(2) हिन्दी –

(i) ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी विषय लेकर स्नातक तथा शिक्षा में उपाधि।

अथवा

(ii) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की साहित्य रत्न अथवा महिला विद्यापीठ प्रयाग की "विदुषी" अथवा पंजाब विश्वविद्यालय का "प्रभाकर" अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय का "साहित्य रत्नाकर" अथवा भारतीय विद्यापीठ बम्बई की राष्ट्र भाषा आचार्य परीक्षा तथा शिक्षा विभाग तथा बोर्ड की किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षण के तीन वर्ष का अनुभव।

(iii) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल आगरा द्वारा संचालित हिन्दी शिक्षण पारंगत अथवा हिन्दी शिक्षण निष्णात परीक्षा उत्तीर्ण हो।

अथवा

(iv) हिन्दी साहित्य वैकल्पिक विषय लेकर शास्त्री तथा शिक्षा में उपाधि/शिक्षा शास्त्री।

(3) तृतीय भाषा –

(अ) संस्कृत के लिए संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित स्नातक।

अथवा

शास्त्री (अंग्रेजी सहित) तथा शिक्षा में उपाधि अथवा समकक्ष डिप्लोमा प्राप्त।

(ब) उर्दू विषय के लिए – विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण तथा शिक्षा में उपाधि या समकक्ष डिप्लोमा।

(स) सिन्धी/पंजाबी/गुजराती/बंगाली तथा अन्य तृतीय भाषा विषयों के लिए – स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित विषय को लेकर सी.सै. या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(4) सामाजिक विज्ञान –

सामाजिक विज्ञान के कोई दो विषयों सहित स्नातक एवं शिक्षा की उपाधि या समकक्ष डिप्लोमा।

(5) विज्ञान –

प्रथम व द्वितीय प्रश्न–पत्रों के अध्यापन कराने के लिए दो अध्यापक आवश्यक हैं उनकी योग्यता नीचे लिखे अनुसार है –

(अ) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों में स्नातक तथा शिक्षा की उपाधि या समकक्ष डिप्लोमा।

(ब) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों में स्नातक तथा शिक्षा की उपाधि या समकक्ष डिप्लोमा।

नोट :– कृषि के प्रशिक्षित स्नातक, जिन्होंने हायर सैकण्डरी परीक्षा जीव विज्ञान लेकर उत्तीर्ण की हो तथा जो सत्र 1986–87 में अथवा इससे पूर्व के नियुक्त हों एवं विज्ञान विषय पढ़ा रहे हों, को भी द्वितीय प्रश्न–पत्र पढ़ाने के लिए योग्य माना जा सकेगा।

(6) गणित –

गणित विषय सहित स्नातक तथा शिक्षा की उपाधि या समकक्ष डिप्लोमा।

(7) समाजपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा –

कोई भी स्नातक तथा शिक्षा में उपाधि या समकक्ष डिप्लोमा।

(8) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा –

स्नातक व स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में उपाधि या डिप्लोमा जो बोर्ड व विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो।

स्नातक व स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में प्रमाण–पत्र

(9) कला शिक्षा –

(अ) स्नातक (चित्रकला अथवा संगीत विषय सहित)

या

(ब) स्नातक एवं स्नातक के समकक्ष स्तर का चित्रकला अथवा संगीत डिप्लोमा (जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो।)

(6) संस्कृत संस्थाओं के अध्यापकों की न्यूनतम योग्यताएं

'प्रवेशिका' विद्यालयों के प्रधानाध्यापक

(अ) शिक्षा मे उपाधि के साथ शास्त्री अथवा स्नातक (संस्कृत वैकल्पिक विषय लेकर) जिन्हें प्रवेशिका स्तर की कक्षा 9 व 10 पढ़ाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

अथवा

(ब) शिक्षा में उपाधि के साथ शास्त्री उपाधि अथवा स्नातक उपाधि (संस्कृत वैकल्पिक विषय लेकर) जिन्हें किसी पूर्व प्रवेशिका अथवा मिडिल स्कूल (कक्षा 8 तक के विद्यालय) के प्रशासनिक प्रभार का चार वर्ष का अनुभव तथा प्रवेशिका स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने का तीन वर्ष का अनुभव हो।

अथवा

(स) स्नातक की उपाधि (संस्कृत वैकल्पिक विषय लेकर) अथवा शास्त्री तथा शिक्षा में उपाधि जिन्हें द्वितीय वेतन श्रृंखला अथवा उच्च पद पर शिक्षा में उपाधि जिन्हें द्वितीय वेतन श्रृंखला अथवा उच्च पद पर कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव हो।

ध्यातव्य :–

राज्य के समस्त अकादमिक संस्थाओं में कार्य के अनुभव वाले व्यक्तियों को भी सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी संस्कृत संस्थाओं के अनुभव के समकक्ष माना जावेगा।

(2) वरिष्ठ अध्यापक (प्रवेशिका स्तर की कक्षाओं के लिए) –

(1) संस्कृत – (अ) व्याकरण शास्त्र विषय सहित प्रशिक्षित शास्त्री।
(आ) साहित्य शास्त्र प्रशिक्षित शास्त्री स्नातक संस्कृत।

(2) हिन्दी – स्नातक की उपाधि (ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी साहित्य लेकर) और शिक्षा में उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त।

अथवा

शास्त्री उपाधि हिन्दी साहित्य वैकल्पिक विषय लेकर और शिक्षा की उपाधि अथवा समकक्ष डिप्लोमा।

(3) अंग्रेजी – स्नातक की उपाधि (ऐच्छिक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित) और शिक्षा में उपाधि अथवा डिप्लोमा।

अथवा

अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि।
शास्त्री उपाधि अंग्रेजी साहित्य वैकल्पिक विषय लेकर और शिक्षा की उपाधि अथवा समकक्ष डिप्लोमा।

(4) विज्ञान – इन विषयों के शिक्षकों की वही योग्यता होगी जो माध्यमिक
(5) गणित – विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों के लिए इन
(6) सामाजिक विज्ञान – (5), (6) विषयों हेतु निर्धारित है। इसी अध्याय के बिन्दु 6 का (4),

(7) पुस्तकालयाध्यक्ष – पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण–पत्र के साथ उच्च माध्यमिक (विज्ञान वर्ग) अथवा वरिष्ठ उपाध्याय (पूर्व आयुर्वेद) परीक्षा उत्तीर्ण।

वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों के प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य/व्याख्याता इत्यादि के लिए

(1) प्रधानाचार्य –

(अ) आचार्य द्वितीय श्रेणी तथा शिक्षा में उपाधि तथा उपाध्याय स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।

अथवा

(आ) आचार्य उपाधि तथा शिक्षा में उपाधि तथा प्रवेशिका विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद का 8 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।

(2) उपप्रधानाचार्य –

ऐसी संस्था में नियुक्ति की जाये जहां कक्षा 6 से 11 वीं तक की कक्षाओं की छात्र संख्या 500 से अधिक हो अथवा जब कोई विद्यालय दो पारियों में चलता है योग्यता प्रधानाचार्य की भांति ही होगी।

(3) प्रवक्ता विद्यालयी शिक्षा –

(अ) संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी आचार्य तथा शिक्षा में उपाधि।

अथवा

संबंधित विषय में आचार्य तथा प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय कक्षाओं को पढ़ाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव तथा शिक्षा में उपाधि।

(ब) पुर्व आयुर्वेद (विज्ञान) में प्रवक्ता –

एम.एस.सी. (रसायन विज्ञान) जिसने स्नातक स्तर पर जीव विज्ञान विषय लिया हो में द्वितीय श्रेणी व शिक्षा में उपाधि।

अथवा

एम.एस.सी. (प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र/जीव विज्ञान) द्वितीय श्रेणी जिसने स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान विषय लिया ही तथा शिक्षा में उपाधि।

अथवा

विभागीय पदोन्नति हेतु शिक्षा में उपाधि सहित उपरोक्त वर्णित में एम.एस. सी. उपाधि निर्धारित विषय वर्गों सहित तथा 7 वर्षों का अध्यापन अनुभव, जिसमें तीन वर्ष प्रवेशिका/उपाध्याय या समकक्ष कक्षाओं का विज्ञान विषय का अध्यापन अनुभव अनिवार्य हो।

9. प्रयोगशाला सहायक

(I) कक्षा 9, 10 विज्ञान हेतु –	जीव विज्ञान सहित (10+2) अकादमिक परीक्षा उत्तीर्ण।
(II) उच्च माध्यमिक कक्षाओं 11 व 12 हेतु –	
(1) भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु –	विज्ञान वर्ग से (10+2) अकादमिक परीक्षा उत्तीर्ण (गणित सहित)।
(2) रसायन विज्ञान प्रयोगशाला हेतु –	विज्ञान वर्ग से (10+2) अकादमिक परीक्षा उत्तीर्ण (गणित या जीव विज्ञान सहित)।
(3) जीव विज्ञान प्रयोगशाला हेतु –	विज्ञान वर्ग से (10+1) अकादमिक परीक्षा उत्तीर्ण (जीव विज्ञान सहित)।
(4) कृषि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु –	कृषि वर्ग से (10+2) अकादमिक परीक्षा उत्तीर्ण
(5) गृह विज्ञान प्रयोगशाला हेतु –	(क) गृह विज्ञान वर्ग से (10+2) अकादमिक परीक्षा (गृह विज्ञान वर्ग सहित) (ख) कला वर्ग से (10+2) अकादमिक परीक्षा (गृह विज्ञान वर्ग सहित)
(6) भूगोल प्रयोगशाला हेतु –	कला वर्ग से (10+2) अकादमिक परीक्षा उत्तीर्ण (भूगोल विषय सहित)
(7) व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशाला हेतु –	संबंधित व्यवसाय से (10+2) व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण। प्रत्येक प्रकार की प्रयोगशाला हेतु पृथक–पृथक एक प्रयोगशाला सेवक हो।
(8) प्रयोगशाला सेवक –	
कम्प्यूटर लेब	Complete computer lab with internet facility. The instructor to student ratio per lab would be 1:20 i.e. on every 20 student's one instructor would take the practical.
माध्यमिक शिक्षा	The student to computer ratio would be 2:1 i.e. 2 students per computer would take the practical. The instructor would take class wise & batch wise practical classes as per the time table set by the Head of Institution/School and syllabus prescribed by BSER, Ajmer.